फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

गोपाली पत्नि कन्हैया लाल दरोगा नि. बिलेठा

बनाम

कन्हैया लाल पिता रामस्वरूप दरोगा नि. बिलेठा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 132/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
15.03.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1248 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आ. न. 1969/11 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आ. न. 1969/17 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.3678 हैक्टेयर तथा आ. न. 1237 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आ. न. 1247 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, आ. न. 1249 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, आ. न. 1252 रकबा 0.113 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.1736 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम. बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1248 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आ. न. 1969/11 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आ. न. 1969/17 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.3678 हैक्टेयर तथा आ. न. 1237 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आ. न. 1247 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, आ. न. 1249 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, आ. न. 1252 रकबा 0.113 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.1736 हैक्टेयरकी बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner